THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED:
PANCHANAN, 3 rd FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL
PHONE - 0755-2556857, 2761392 FAX 0755-2557305 EMAIL mpagrohobpl @gmail.com

कमांक / मुख्या / प्लास्टिक आयटम / 2021–22 / 5771 दिनांक 22.02.2022

प्रति, **द्वितीय प्रसारण**

जिला प्रबंधक (समस्त)

....

विषय– निगम के माध्यम से वर्ष 2021–22 एवं आगे की अवधि के लिये **ISI MARK GEO MEMBRANE FOR POND LINING- IS 15351:2008 Textiles Laminated High Density Polyethylene (HDPE) Woven Fabric Lining (Geo Membranes)** प्रदाय दरों के संबंध में।

निगम के माध्यम से वर्ष 2021–22 एवं आगे की के लिये **ISI MARK GEO MEMBRANE FOR POND LINING- IS 15351:2008 Textiles Laminated High Density Polyethylene (HDPE) Woven Fabric Lining (Geo Membranes)** के प्रदाय हेतु निम्नानुसार प्रदायकों से अनुबंध निष्पादित किये गये है:–

SNO	NAME OF SUPPLIER	NAME OF MANUFACTURER
1	M/S ALEX INDUSTRIES 25 KUNWAR MANDLI KESAR PLAZA, INDORE 22 Paliwar Nagar, Near Saket Nagar, Indore Mob.- 7999048481 Email- alexindustries2021@gmail.com	M/S Commercial Syn Bags Ltd. Commercial House, 3-4 Jaora Compound, M.Y.H. Road, Indore- 452 001 Ph.- 0731-2704007 Email- mails@comsyn.com

ISI MARK GEO MEMBRANE FOR POND LINING- IS 15351:2008 Textiles Laminated High Density Polyethylene (HDPE) Woven Fabric Lining (Geo Membranes) - का तकनीकी विवरण अनुलग्नक 1 पर संलग्न है। निगम की कय एवं विकय दरों का विवरण अनुलग्नक 2 पर संलग्न है। अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से सामग्रियों के प्रदाय हेतु है। किसी अन्य संस्था / विभाग द्वारा इन दरों पर सीधे कय / विकय करने की स्थिति में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसके लिये निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा। इन दरों के प्रसारण के साथ समान सामग्री हेतु निगम द्वारा पूर्व में प्रसारित दरें स्वमैव निरस्त मान्य होगीं।

सामग्रीयों के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तों निम्नानुसार रहेंगीं–
(सलग्न दरें FOR Destination (प्रदाय स्थल तक पंहुचाकर) लोड़िग एवं अनलोड़िग सहित है)

1. जिला प्रबंधकों का दयित्व है कि वे निगम की विकय दरों से उद्यान विभाग /कृषि विभाग /मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अन्य संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में व्यवसाय प्राप्त करें।
2. जिला प्रबंधक निर्माता / प्रदायक के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगें एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुये संबंधित निर्माता / प्रदायक कंपनी को आदेष जारी करेंगें। प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण प्रदाय दर, प्रदाय की शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी निगम के GSTN no आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। यदि प्रदायक के नाम का विवरण प्राप्त न हो तो संबंधित अधिकारी को पत्र लिख कर जानकारी प्राप्त की जावे। बिना अनुशंसा के स्वयं निर्माता / प्रदायक का चयन न किया जावे।
3. देयक पर निगम का GST No 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है । देयक में CGST एवं SGST की राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा । प्रदायक उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे । किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक देयक में से की जाएगी ।

4. प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समय सीमा का उल्लेख किया जावे। प्रदाय अवधि के अंदर प्रदायक आदेशित सामग्री को सही हालत में प्रदाय करेंगें। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग के अधिकारी की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जा सकेगी।
5. आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा तदोपरांत संलग्न प्रारूप में पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेगें।
6. आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत प्रदायक तीन प्रतियों में देयक भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत करेगें।
7. भुगतान–
8. अ– प्रदायक के देयक का भुगतान भुगतान पष्चात भुगतान के आधार पर निम्नानुसार किया जा सकेगा–
   a) As far as possible, 80% payment of supplier's bill will be made within 30 days on receipt of payment by the corporation against the supplies along with proper receipt of items of the ordered quantity at the destination in good condition duly issued by the consignee and countersigned by the District Manager of the corporation for the consignee's district.
   b) Balance 20% payment of the bill be paid after receipt of satisfactory performance report from the user department.

   Note: *Corporation will release the balance 20 percent payment after 120 days (from the date of supply) considering there is no complaint by the consignee against the quality of the supplied material after getting the certificate from the District Manager of the Corporation.*
9. निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित आदेश जारी किये जाने के उपरांत ही प्रदाय को मान्य किया जावेगा।
10. गुणवत्ता:–
11. अ– निगम के माध्यम से जो सामग्री विभाग/कृषकों को प्रदाय की जावेगी संबंधित निर्माता एवं प्रदायक उस सामग्री की गुणवत्ता के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। यदि प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित जिला प्रबंधक का दायित्व है कि वे तत्काल इसकी सूचना संबंधित प्रदायक को देते हुये आवष्यकतानुसार सामग्री बदल कर शिकायत का निराकरण करावें, एवं की गई कार्यवाही से अपने क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावें।
12. ब. यदि निर्धारित समय सीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता द्वारा नहीं किया जाता है तो संबंधित कंसाईमेंट में से विधिवत सेम्पल ड्रॉ कर सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिये CIPET Bhopal को भिजवाया जावे, एवं क्षेत्रीय कार्यालय/निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे जिससे संबंधित के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही की जा सके।
13. प्रदायक द्वारा निष्पादित अनुबंध में यह शर्त निहित है कि अनुबंध की अवधि में प्रदायक /निर्माता की दरें न्यूनतम दरें है और यह दरें निर्माता कंपनी के प्रदायक या उसके अधिकृत विकेता द्वारा मध्य प्रदेश में समान सामग्री के विकय दरों के बराबर है। दरों में विसंगति होने की दषा में निगम कृषक/विभाग को होने वाले नुकसान की भरपाई प्रदायक कंपनी से करने हेतु अधिकृत है। यदि इस आशय की जानकारी जिलें में प्राप्त होती है तो उसकी सूचना डाक्यूमेंटरी प्रूफ के साथ मुख्यालय को प्रेषित की जावे जिससे अनुबंध की शर्तो के अनुसार प्रदायक के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।
14. इस परिपत्र के माध्यम से जारी विभिन्न प्रदायकों की दरें वर्ष 2021–22 एवं आगे की अवधि के लिये आगामी आदेश तक लागू रहेंगीं। दरों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन किये जाने की दषा में मुख्यालय द्वारा तदानुसार सूचित किया जावेगा।

15. निगम द्वारा जारी किये गये रेट कांट्रेक्ट आफर की प्रति निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध है। पूर्ण विवरण हेतु इसकी एक प्रति प्रिंट कर रिकार्ड में रखें।

सहायक प्रबंधक (उद्यान)

5772
22-2-22

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. उप संचालक / सहायक संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. उप संचालक / सहायक संचालक कृषि (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
7. मेसर्स .... की ओर सूचनार्थं। प्रदाय देयक निगम के जिला प्रबंधक को जारी करते समय देयक पर इस आशय का उल्लेख अवश्य किया जावे, की देयक के विरूद्ध प्रदाय की जा रही सामग्री निगम के आरसीओ के अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता अनुसार है। प्रदायक द्वारा सामग्री प्रदाय किये जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा की वह उक्तानुसार समस्त शर्तों से सहमत है। BIS लायसेंस की वैधता के संबंध में कृपया सुनिश्चित करें की अनुबंध अवधि में लायसेंस वैध रहें।

सहायक प्रबंधक (उद्यान)

ISI MARK GEO MEMBRANE FOR POND LINING- IS 15351:2008 TEXTILES LAMINATED HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) WOVEN FABRIC LINING (GEO MEMBRANES)

TECHNICAL SPECIFIACTION

Geo Membrane Pond liner should be ISI Mark, as per IS 15351:2015 Textiles- Laminated High Density Polyethylene (HDPE) Woven Fabric Lining (Geo Membranes)- Specification (with up to date amendments).

Marking – Each roll of Pond Liner shall be marked legibly with the following information:

a) Manufacturer's name and i.e recognized trade-mark, if any;
b) Type of Fabric (Geo Membrane)
c) Declared Length and Width of the roll;
d) Mass Per Sq Meter of the fabric
e) Batch number and date of manufacture.
f) BIS Certification and Marking as per guideline of BIS

सहायक प्रबंधक (उद्यान)

अनुलग्नक 2

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED:
PANCHANAN, 3 rd FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL
PHONE - 0755-2556857, 2761392 FAX 0755-2557305 EMAIL mpagrohobpl @gmail.com

MP AGRO'S PURCHASE AND SELLING RATES DETAIL FOR YEAR 2021-22 AND ONWARDS

ISI MARK GEO MEMBRANE FOR POND LINING- IS 15351:2008 TEXTILES LAMINATED HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) WOVEN FABRIC LINING (GEO MEMBRANES)

Name of Supplier	:	M/S ALEX INDUSTRIES 25 KUNWAR MANDLI KESAR PLAZA, INDORE 22 Paliwar Nagar, Near Saket Nagar, Indore
Name of Manufacturer		M/S Commercial Syn Bags Ltd. Commercial House, 3-4 Jaora Compound, M.Y.H. Road, Indore-452 001 Ph.- 0731-2704007 Email- mails@comsyn.com
Contact Person	:	Shri NItin Marchhale
Contact No	:	7999048481
Email	:	alexindustries2021@gmail.com

Supplier Billing From Out of Madhya Pradesh				
Particulars	Type 1 (Micron 250 & GSM 250)	Type2 (Micron 500 & GSM 420)	Type 3 (750 micron & GSM 650)	Type 4 (1000 micron & GSM 950)
Basic Price	209.65	209.65	209.65	209.65
IGST @ 18%	37.74	37.74	37.74	37.74
Corporation Purchase Price	247.387	247.387	247.387	247.387

Corporation Selling Price				
Particulars	Type 1 (Micron 250 & GSM 250)	Type2 (Micron 500 & GSM 420)	Type 3 (750 micron & GSM 650)	Type 4 (1000 micron & GSM 950)
Basic Price	209.65	209.65	209.65	209.65
Margin 5%	10.48	10.48	10.48	10.48
Subtotal	**220.13**	**220.13**	**220.13**	**220.13**
IGST @ 18%	39.62	39.62	39.62	39.62
Corporation Sealing price	259.76	259.76	259.76	259.76

सहायक प्रबंधक (उद्यान)

अनुलग्नक 3

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED:
PANCHANAN, 3 rd FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL
PHONE - 0755-2556857, 2761392 FAX 0755-2557305 EMAIL mpagrohobpl @gmail.com

पावती / संतुष्टि प्रमाण पत्र

क्षेत्रीय प्रबंधक...................... के आदेश कं................. दिनांक .... के कम में मेसर्स .... द्वारा निम्नविवरण सामग्री का प्रदाय निगम के माध्यम से............................. विभाग को किया गया है।

क्रं	सामग्री का नाम	Specification/ Model	संख्या / मात्रा	रिमार्क

उक्तानुसार प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन मेरे द्वारा संबंधित प्राप्त कर्ता विभाग के समक्ष अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। सामग्री सही हालत में प्राप्त हुई है एवं सामग्री निगम मुख्यालय द्वारा जारी अनुमोदन पत्र / RCO अनुसार निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है। प्राप्त कर्ता विभाग प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता से पूर्णतः संतुष्ट है।

हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

प्राप्तकर्ता विभाग की सील सहित

हस्ताक्षर

नाम

जिला प्रबंधक एम पी एग्रो सील सहित